राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता योजना नियमावली–2008

(औद्योगिक विकास अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–488/औ.वि./VII-II-08/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर–5(9)(2) से अनुमोदित)

1.	**संक्षिप्त नाम**	यह योजना राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण (आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण आदि) प्रोत्साहन सहायता नियमावली–2008 कहलायेगी।
2.	**उद्‌देश्य**	इस योजना का उद्‌देश्य उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं की गुणवत्ता/प्रबन्धन, संवर्द्धन एवं संरक्षण तथा पर्यावरण प्रबन्धन व्यवस्था में सुधार करना होगा।
3.	**सहायता का स्वरूप एवं मात्रा**	आई.एस.ओ. प्रमाणीकरण के अतिरिक्त उत्पाद की गुणवत्ता तथा मानकीकरण हेतु उद्यम द्वारा राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थाओं से आई.एस.आई., क्वालिटी मार्किंग, बी.आई.एस., ट्रेड मार्क, कापीराइट, एफ.पी.ओ. पंजीयन तथा प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिये किये गये व्यय का 75 प्रतिशत, अधिकतम रू0 1.00 लाख (रूपये एक लाख मात्र) तक की धनराशि की प्रतिपूर्ति उपादान सहायता के रूप में की जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में इस हेतु सभी श्रोतों से प्राप्त उपादान सहायता की धनराशि इस मद में किये गये व्यय से अधिक नहीं होगी। गुणवत्ता/प्रबन्धन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में किये गये व्ययों में आवेदन शुल्क, अंकेषण शुल्क, वार्षिक फीस/अनुज्ञा शुल्क, प्रशिक्षण शुल्क, तकनीकी कन्सल्टेंसी, यंत्र–संयंत्र का मूल्य तथा अधिष्ठापन व्यय सम्मिलित होगा, परन्तु यात्रा व्यय, होटल व्यय, टेलीफोन, पत्राचार व्यय का समावेश इसमें नहीं किया जायेगा।
4.	**योजना का प्रारम्भ तथा पात्रता अवधि**	यह योजना 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगी। योजना प्रारम्भ होने की तिथि के पश्चात् स्थापित होने वाले पात्र नये उद्यमों को वाणिज्यिक उत्पादन/व्यवसाय आरम्भ करने के दिनांक से अधिकतम 10 वर्ष अथवा 31 मार्च, 2018, जो भी पहले घटित हो, तक यह सुविधा उपलब्ध होगी।
5.	**परिभाषा**	इस योजना के अन्तर्गत सहायता हेतु नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं बृहत उद्यम आदि की वही परिभाषायें होंगी, जो औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 1961/सात–II/ 123–उद्योग/08 दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 से जारी की गई हों।

6. **पात्रता**

1. दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के श्रेणी–ए व बी में वर्गीकृत जनपदों/ क्षेत्रों में स्थापित नये सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाणीकरण/मानकीकरण के तहत आई.एस.ओ./आई.एस.आई./बी.आई.एस./पेटेन्ट/क्वालिटी मार्किंग/ट्रेड मार्क/कापीराइट/एफ.पी.ओ./प्रदूषण नियंत्रण एवं समान प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र/पंजीकरण प्राप्त करने पर सहायता के पात्र होंगे।

2. ऐसे उद्यम द्वारा राज्य के सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र, उद्योग निदेशालय, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अथवा विकास आयुक्त (हथकरघा एवं हस्तशिल्प), भारत सरकार से उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व भाग–2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए. अथवा विधिमान्य पंजीकरण प्राप्त किया हो।

3. गुणवत्ता प्रमाणीकरण उपादान योजनान्तर्गत उपादान सहायता का लाभ लेने के लिये उद्यम को गुणवत्ता प्रमाणीकरण प्राप्त करने के एक वर्ष की अवधि पर आवेदन करना होगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् किये गये आवेदनों को सहायता प्राप्त नहीं होगी।

4. आवेदन उद्यम द्वारा यदि भारत सरकार, लघु उद्योग मंत्रालय की आई.एस.ओ.–9000/14000 या समतुल्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु लागू योजना का लाभ प्राप्त किया हो, तो उन्हें इस योजना के अन्तर्गत पात्रता नहीं होगी।

7. **योजना का कियान्वयन**

योजना का कियान्वयन उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड व उनके अधीनस्थ जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

8. **प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन करने तथा स्वीकृति की प्रकिया**

1. नवीन सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यमों को निदेशक उद्योग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित अभिलेखों/प्रमाण पत्रों सहित सम्बन्धित जनपद के जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

   (i) सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्र, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार अथवा विधिमान्य प्राधिकृत विभाग से जारी उद्यमी ज्ञापन (भाग–1 व 2) की अभिस्वीकृति, आई.ई.एम./एस.आई.ए., आशय पत्र/पंजीकरण की प्रति।

   (ii) गुणवत्ता प्रमाणीकरण के तहत गुणवत्ता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या समतुल्य प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

   (iii) प्रमाणीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु किये गये व्यय के बिल

वाउचरों की प्रमाणित प्रतियॉ।

(iv) निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(v) भारत सरकार की गुणवत्ता प्रमाणीकरण से सम्बन्धित योजनाओं का लाभ न लेने सम्बन्धी शपथ पत्र।

2. जिला उद्योग केन्द्र में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर महाप्रबन्धक द्वारा आवेदन पत्र तथा अभिलेखों का परीक्षण कर दावा स्वीकृति हेतु जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति के सम्मुख स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर दावे की स्वीकृति के सम्बन्ध में महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र द्वारा आदेश निर्गत किये जायेंगे।

4. जिला उद्योग मित्र की प्राधिकृत समिति से स्वीकृत दावे की धनराशि की मॉग बैठक के कार्यवृत्त सहित निदेशक उद्योग को प्रस्तुत की जायेगी, निदेशक उद्योग बजट उपलब्ध होने पर स्वीकृत धनराशि के संवितरण के लिये बजट उपलब्धता के आधार पर धनराशि का आवंटन करेंगे।

9. **सहायता की वसूली**

यदि यह पाया जाता है कि उद्यम द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से उपादान सहायता प्राप्त की गई है, तो उपादान की पूर्ण राशि एक मुश्त 18 प्रतिशत ब्याज सहित भू–राजस्व की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी।

10. **नियमों की व्याख्या**

1. अनुदान की पात्रता, नियमों की व्याख्या या अन्य विवाद की स्थिति में निदेशक उद्योग का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

2. योजना के अन्तर्गत निर्देश जारी करने हेतु निदेशक उद्योग सक्षम होंगे।